सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 26, बुधवार, *शाके* 1942–मार्च 17, 2021 *Phalguna 26, Wednesday, Saka 1942- March 17, 2021*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2021

संख्या प.12(5)**नविवि/**2021:-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम -1959 राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन 1959 की धारा 32 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा खसरा संख्या 173, 174, 176, 165, 166, 169, 140, 140/198 कुल रकबा 589.08 बीघा ग्राम अमरसागर में स्थित भूमि पर बहुउद्देषीय आवासीय योजना प्रस्तावित की गयी है।

जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार है:-

उत्तर - राजस्व ग्राम अमरसागर खसरा संख्या -139, 175, 140, 167, 170, 172

दक्षिण - राजस्व ग्राम जैसलमेर खसरा संख्या - 541, 542 (जैसलमेर सरहद)

पूर्व - राजस्व ग्राम जैसलमेर खसरा संख्या - 39, 40, 52, 53 (जैसलमेर सरहद)

पश्चिम - राजस्व ग्राम अमरसागर खसरा संख्या -141, 163, 164

उपरोक्त योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 589.08 बीघा है। योजना क्षेत्र का विवरण और मानचित्र नगर विकास न्यास, जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है, जिसको किसी भी कार्य दिवस में सायंकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

त्रिभुवनपति,
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।